मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय

1. विश्वविद्यालय का नाम	:	मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय
2. परिनियम का क्रमांक	:	**परिनियम क्रमांक– 11** बहुमाध्यमीय क्षेत्रीय'अध्ययन केन्द्रों की स्थापना
3. अनुमोदन करने वाला प्राध्किरण एवं तिथि	:	विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 9.10.96 को अनुमोदित
4. प्रस्तावित परिनियम के प्रभावशील होने की तिथि	:	विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुमोदन के दिनांक से

परिनियम :–

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धरा 5 (x) में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, उन्हें संधरित करना या मान्यता देने का प्रावधन दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा के बदलते परिवेश में एवं विश्वविद्यालय की प्रारंभिक अवस्था में यह आवश्यक होगा कि आगामी पाँच वर्षों में स्थापित होने वाले बहुमाध्यमीय क्षेत्रीय'अध्ययन केन्द्रों की स्थापना संबंधी निर्णय के लिये निम्नलिखित समिति को अधिकृति किया जाय –

1. कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव'सचिव, उच्च शिक्षा विभाग – सदस्य
3. निदेशक'कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय – सदस्य
4. इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक, भोपाल – सदस्य

बहुमाध्यमीय क्षेत्रीय'अध्ययन केन्द्रों में केन्द्राध्यक्ष'उपाध्यक्ष एवं अन्य अंशकालीन नियुक्तियों, उनकों दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य संबंध्ति विषयों में निर्णय के लिये उफपर दर्शाई अध्कृित होगी।

(सतीश पाण्डेय)
कुलसचिव